



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275449
CG-DL-E-13082026-275449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4322]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4322]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4502(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3387(अ), दिनांक 24 जून, 2026, जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

संशोधन हेतु आवश्यक विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	स्थान	मूल अधिसूचना परवर्ती अधिसूचना में संशोधन योग्य विषय	संशोधित विषय
1	प्रथम पैरा की तीसरी पंक्ति में संशोधन	उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा की तीसरी पंक्ति में, "सक्षम प्राधिकारी खातेगांव" शब्दों के स्थान पर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खातेगांव "शब्द पढ़े जाएंगे।

2	तृतीय पैरा की प्रथम एवं चतुर्थपंक्ति में संशोधन	उक्त अधिसूचना के तृतीय पैरा की प्रथम एवं चतुर्थ पंक्ति में, जहाँ-जहाँ "सक्षम प्राधिकारी खातेगांव" शब्द आए हैं, उनके स्थान पर	"अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खातेगांव" शब्द पढ़े जाएंगे।
3	चतुर्थ पैरा की प्रथम पंक्ति में संशोधन	उक्त अधिसूचना के चतुर्थ पैरा की प्रथम पंक्ति में, जहाँ-जहाँ "सक्षम प्राधिकारी खातेगांव" शब्द आए हैं, उनके स्थान पर	"अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खातेगांव" शब्द पढ़े जाएंगे।
4	छठा पैरा में संशोधन	उक्त अधिसूचना के छठा पैरा में मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH 146B के कि.मी. 0 से कि.मी.17 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण" शब्द आए हैं, उनके स्थान पर	मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH 146B के कि.मी. 0 से कि.मी.17 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खातेगांव) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण" शब्द पढ़े जाएंगे।

[फा. सं. 3253 / CORRIGENDUM]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4502(E). — In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways **S.O. 3387(E) dated 24th June, 2026**, namely: -

SCHEDULE

Details of amendment required are as under

S No.	Matter in principal notification / subsequent notification that requires amendment		Matter to be amended as
	Location	Details of matter	
1	Amendment in the fifth line of Paragraph 1	In the fifth line of Paragraph 1 of the said notification, for the words "SDO Khategaon", the words	"Sub-Divisional Officer (Revenue), Khategaon" shall be substituted.
2	Amendment in the first line of Paragraph 3	In the first line of Paragraph 3 of the said notification, wherever the words "SDO Khategaon" occur, they shall be substituted by the words	"Sub-Divisional Officer (Revenue), Khategaon" shall be substituted.

3	Amendment in the Second line of Paragraph 6	In the Second line of Paragraph 6 of the said notification, wherever the words " SDO Khategaon " occur, they shall be substituted by the words	"Sub-Divisional Officer (Revenue), Khategaon" shall be substituted.
---	--	--	--

[F. No. 3253/ CORRIGENDUM]

SHAIKH AMINKHAN, Director